संख्या–5495 / 9–आ–1(आ.बि.) विविध / 2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
गाज़ियाबाद।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक–30 दिसम्बर, 2000

विषय : भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रक्रिया।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक तल हेतु अलग–अलग स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए बार–बार मानचित्र बनाकर स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

यह व्यवस्था विभिन्न वर्तमान शासनादेशों के अनुकूल नहीं है तथा अनावश्यक रूप से आवेदकों को प्राधिकरण के चक्कर लगाने पर मजबूर करेगी तथा उत्पीड़न की शिकायतें होंगी। इसी आधार पर मानचित्रों को अस्वीकृत किए जाने के कारण कतिमपय संदर्भ भी शासन को प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4716 / 9–आ–1–29 विविध / 1998 दिनांक 21.10.2000 द्वारा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उसमें निहित प्रक्रियानुसार अनुमन्य एफ.ए.आर.सीमा के अन्तर्गत सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार एक अथवा अधिक तलों के भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएं। इन्हें तत्काल लागू किया जाए।

उपरोक्तानुसार सभी अधीनस्थ सम्बन्धित की कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, कृत कार्यवाही से दर दिन के अन्दर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव